



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMAD KHALIL S/O USAMAN ALI

पता J.16/56-A-2 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160156-- Property Id. 1J160003001

Latitude 25.33591997420

Longitude 83.01098908540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,830.0** व सामान्य कर **421.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 2100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	22,176.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	22,176.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,439.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GURU DAYAL JAISWAL

पता J.16/56-A-3 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

MIS Id. 08160162A Property Id. 1J160003002

पुराना वार्ड W086

Latitude 25.33591997420

मोबाईल नं०

Longitude 83.01098908540

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,03,693.0** व सामान्य कर **15,554.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,850.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 3850	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,65,211.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,65,211.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	54,782.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASRIN BEGUM W/O SHAMIM AHMED SIDDIQUI

पता J.16/52-E Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9935276860

MIS Id. 08160153B Property Id. 1J160007001

Latitude 25.33608394340

Longitude 83.01067780470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/52-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 41,996.0 व सामान्य कर 4,620.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1600,C= 1000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,12,716.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,12,716.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	16,907.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EHSANUL HAQ,ANWARUL HAQ,JAHIRUL HAQ SS/O LATE ABDUL

पता J.16/52-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9415372906

MIS Id. 08160153A Property Id. 1J160008001

Latitude 25.33615378620

Longitude 83.01049327090

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/52-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,06,448.0 व सामान्य कर 15,967.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Industrial Unit	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 3500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,41,372.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,41,372.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	21,206.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EJAJUDDIN,HESHAMUDDIN,MOFIJUDDIN SS/O RAFIJUDDIN

पता J.16/45-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160004-- Property Id. 1J160011002

Latitude 25.33621712590

Longitude 83.01004232940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/45-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **49,104.0** व सामान्य कर **5,401.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	529.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1058,C= 529	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	846.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	61,988.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	61,988.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,298.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AISHANUL HAQ,ANWARUL HAQ,JAHIRUL HAQ SS/O HAJI ABDUL

पता J.16/40 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160002-- Property Id. 1J160013001

Latitude 25.33627194410

Longitude 83.00969917840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/40 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **24,624.0** व सामान्य कर **2,709.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,516.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 3000	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,01,960.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,01,960.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	30,294.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMID HUSSAIN, WASHIR AHMED, MOHD. SARIF, ABDUL

पता J.16/57+J.15/102 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160119-- Property Id. 1J160234001

Latitude 25.33530183470

Longitude 83.01015555880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/57+J.15/102 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 14,605.0 व सामान्य कर 1,607.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2700, C= 1350	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,05,122.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,05,122.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,768.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SAMAD S/O HAJI ABDUL KAYUM

पता J.15/102-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160121-- Property Id. 1J160234002

Latitude 25.33530183470

Longitude 83.01015555880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.15/102-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,642.0** व सामान्य कर **181.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 306,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	245.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,851.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,851.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	204.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.RABIYA BIBI W/O LATE ABARASUL ANWARUL HIQ,ANWARUL

पता J.16/67-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160122-- Property Id. 1J160237001

Latitude 25.33532932300

Longitude 83.00998758570

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/67-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,756.0 व सामान्य कर 303.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	459.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 144,C= 144	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	115.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,124.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,124.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,114.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIRAZUL HAQ, WALI HAQ S/O ANARUL HAQ

पता J.16/1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 8318529156

MIS Id. 08160036-- Property Id. 1J160241001

Latitude 25.33536011890

Longitude 83.00958296760

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,661.0 व सामान्य कर 843.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2100, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULLAH S/O BARAKATULLAH

पता J.16/67 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 6392789993

MIS Id. 08160030-- Property Id. 1J160245001

Latitude 25.33537663760

Longitude 83.00991960780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/67 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,709.0 व सामान्य कर 1,398.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 825,C= 1500	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	660.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,04,290.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,04,290.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,644.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KADIR S/O SAWAN

पता J.16/2 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160028-- Property Id. 1J160250001

Latitude 25.33542277730

Longitude 83.00963541950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,910.0 व सामान्य कर 650.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	672.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1344,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,075.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,129.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,129.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	894.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLAH S/O SUBAHAN ALI S/O LATE SAMIULLA

पता J.16/3 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160028A Property Id. 1J160250002

Latitude 25.33542277730

Longitude 83.00963541950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,094.0** व सामान्य कर **120.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	606.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 216,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	173.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,306.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,306.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	144.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YUSUF,BABU LALLAN S/O HABIBULLA,ABDUL SALAM,ABDUL
पता J.16/10 Nawapura
नया वार्ड W060 Alaipura पुराना वार्ड W086 मोबाईल नं०
MIS Id. 08160123-- Property Id. 1J160253001 Latitude 25.33544874620 Longitude 83.01009390540

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.16/10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 25,411.0 व सामान्य कर 2,795.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,550.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4650,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	28,123.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	28,123.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,094.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SATTAR, NOOR ALAM S/O SRI HAJI SAMSUDDOHA

पता J.16/7 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160025A Property Id. 1J160255001

Latitude 25.33553194340

Longitude 83.00985397940

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,404.0 व सामान्य कर 704.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,353.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2028,C= 225	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,791.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,791.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,277.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL HAQ S/O LATE SALAMTULLAH, ASGARI BEGAM W/O LATE

पता J.16/12 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 8960519658

MIS Id. 08160125-- Property Id. 1J160256001

Latitude 25.33547698730

Longitude 83.01023128890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,736.0 व सामान्य कर 301.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	700.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1950, C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,560.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	21,433.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	21,433.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,358.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.KASIM, MOHD.IBRAHIM SS/O LATE HAZI SULTAN, AINUL HAQ

पता J.16/11 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160141-- Property Id. 1J160256002

Latitude 25.33547698730

Longitude 83.01023128890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,297.0** व सामान्य कर **363.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,139.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,871.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,871.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	426.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUBHAN ALI S/O SAMIULLA

पता J.16/4-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160027-- Property Id. 1J160258001

Latitude 25.33550604760

Longitude 83.00955316450

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,925.0** व सामान्य कर **542.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,050.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2100,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,701.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,701.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,397.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASARULLAH ALIES SOMARU,HAZI AMANAT,HAZI

पता J.16/6 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9839112640

MIS Id. 08160026-- Property Id. 1J160260001

Latitude 25.33554429260

Longitude 83.00975105000

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 14,022.0 व सामान्य कर 1,542.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	27,216.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	27,216.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,994.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IRFAN ALI,JARINA,SABINA,AFARIN BANO,NILAMA,RESHAMA BANO

पता J.16/8+9 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160024-- Property Id. 1J160261001

Latitude 25.33553744280

Longitude 83.01001172060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/8+9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 33,037.0 व सामान्य कर 3,634.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 5850,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	4,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	93,215.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	93,215.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	13,982.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SESH NAAM KE SAATH MOHD YASIN MOHD MOBIN MADINA BIBI

पता J.16/5 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160027A Property Id. 1J160263002

Latitude 25.33555422510

Longitude 83.00965381210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,880.0 व सामान्य कर 867.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1750,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,584.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,584.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,164.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIR HUSAIN S/O SAJJAD HUSAIN(RAHIN) S/O SAJJAD

पता J.16/4 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160027B Property Id. 1J160264001

Latitude 25.33558516840

Longitude 83.00956271030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 31,806.0 व सामान्य कर 3,499.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2100,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,680.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	35,154.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	35,154.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,867.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM S/O AJMAT ALI

पता J.16/54-B-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 7905312767

MIS Id. 08160135-- Property Id. 1J160265001

Latitude 25.33563047110

Longitude 83.01074415700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/54-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,666.0** व सामान्य कर **953.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	360.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,152.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,709.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,709.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	958.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD MUSTAKIM S/O AJAMAT ALI

पता J.16/54-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160133-- Property Id. 1J160265002

Latitude 25.33563047110

Longitude 83.01074415700

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/54-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,244.0 व सामान्य कर 797.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	591.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1360,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,088.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,225.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,225.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	905.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TABARAK ALI, ABDUL RAB, KHAIRUL BASHAR S/O LATE ABDUL

पता J.16/14 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160142-- Property Id. 1J160266001

Latitude 25.33560699620

Longitude 83.01020959320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/14 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, 2_Residential, GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4320, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,456.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	26,127.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	26,127.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,874.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASAN,ANSAR AHMED S/O SHAMSUL HAQ

पता J.16/14-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160142A Property Id. 1J160266002

Latitude 25.33560699620

Longitude 83.01020959320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/14-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,035.0 व सामान्य कर 994.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,552.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,344.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,161.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,161.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,118.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abadul Rahman

पता J.16/14-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160143-- Property Id. 1J160266003

Latitude 25.33560699620

Longitude 83.01020959320

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/14-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,316.0 व सामान्य कर 1,025.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	3,552.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1728,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,382.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,451.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,451.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,150.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABADUL SALAM S/O NASARULLA

पता J.16/16+16-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160023-- Property Id. 1J160271001

Latitude 25.33566213190

Longitude 83.00986416360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/16+16-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,601.0** व सामान्य कर **2,376.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0	R= 4800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	29,030.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	29,030.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,193.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN,MEHRUNNISA,KHAIRUNNISA S/O DD/O VAJID ALI

पता J.16/17 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160023B Property Id. 1J160272001

Latitude 25.33567771300

Longitude 83.00976002500

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,442.0 व सामान्य कर 819.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBUNNISHA W/O LATE MOHD.ISHAK MD RAMZAN & JAHIRUNISSA

पता J.16/20-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160022-- Property Id. 1J160273001

Latitude 25.33569273590

Longitude 83.00965981860

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/20-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,378.0 व सामान्य कर 482.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,516.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SAIED S/O MOHD.HADIS

पता J.16/54-B-1- Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9935340058

MIS Id. 08160134-- Property Id. 1J160274001

Latitude 25.33571369860

Longitude 83.01074865190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/54-B-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,531.0 व सामान्य कर 828.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,400.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,144.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,144.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,996.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRULLAH S/O FAIJURLLA

पता J.16/55-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160136-- Property Id. 1J160275001

Latitude 25.33570533790

Longitude 83.01066420530

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/55-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,514.0** व सामान्य कर **497.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1000,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	800.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,048.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,048.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	665.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI ASAGAR

पता J.16/56-2 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160138-- Property Id. 1J160276001

Latitude 25.33570908470

Longitude 83.01062025660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,915.0** व सामान्य कर **211.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	525.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1050,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	840.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,350.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,350.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	699.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD EDRIS S/O HAZI, HAZI SALAMTULLA

पता J.16/56-C Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 6386206865

MIS Id. 08160139-- Property Id. 1J160279001

Latitude 25.33571567030

Longitude 83.01051834150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,825.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,280.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,677.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,677.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,064.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMZAN ALI S/O MATIN AHMED,MD.ISLAM,MD.IQRAM,ABDUL

पता J.16/25 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160144-- Property Id. 1J160283001

Latitude 25.33573928580

Longitude 83.01016160740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 9,850.0 व सामान्य कर 1,084.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	16,330.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	16,330.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,796.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHIM S/O LATE ABDUL SATTAR,PAPPU ALIES ABDUL

पता J.16/24 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 7052080073

MIS Id. 08160018-- Property Id. 1J160284001

Latitude 25.33575024780

Longitude 83.01006793250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,472.0 व सामान्य कर 602.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FATAMA BIBI DD/O ABDUL RAZZAQ

पता J.16/22 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160020-- Property Id. 1J160288001

Latitude 25.33578447200

Longitude 83.00981470180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,421.0** व सामान्य कर **1,366.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,474.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3472,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,778.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,999.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,999.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,310.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WALIULLAH,SHAIID AHMED,ALI AHMED,BERADARAN,GULAM

पता J.16/21 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160022A Property Id. 1J160290001

Latitude 25.33579988350

Longitude 83.00971584670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/21 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,709.0 व सामान्य कर 1,398.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 2700,C= 900	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	74,164.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	74,164.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	11,125.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALINA BIBI S/O LATE SIDDHIKULLA, BISMILLA, ABDUL

पता J.16/19 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160021-- Property Id. 1J160290002

Latitude 25.33579988350

Longitude 83.00971584670

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/19 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 12,312.0 व सामान्य कर 1,354.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,162.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential, 2_Residential, 3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 3570, C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,856.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	36,628.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	36,628.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,029.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ILIYAS ALI AHAMD ABDUL GAFUR & NAJIR AHAMD SS/O MD ISMAIL

पता J.16/20 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160022B Property Id. 1J160291001

Latitude 25.33581143370

Longitude 83.00964241820

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,178.0 व सामान्य कर 570.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1500,C= 300	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,200.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM, ABDUL SALAM, MOHD. NIZAM ANSARI SS/O

पता J.16/54-D-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160165-- Property Id. 1J160293001

Latitude 25.33571202980

Longitude 83.01091034140

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/54-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,257.0 व सामान्य कर 248.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	7,343.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 432, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	346.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,613.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,613.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	287.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMZAN S/O HIDAYATULLA

पता J.16/29 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160147-- Property Id. 1J160294001

Latitude 25.33584032890

Longitude 83.01029085440

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/29 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,830.0** व सामान्य कर **421.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 900,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	34,360.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	34,360.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,780.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHANGIR AHMAD S/O ASHFAQ AHMAD

पता J.16/56-B-1-R Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9415251408

MIS Id. 08160166-- Property Id. 1J160295001

Latitude 25.33586942390

Longitude 83.01078051910

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-B-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,520.0** व सामान्य कर **277.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	364.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 440,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	352.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	12 Mtr To 24 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.10	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,485.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,485.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL ABDIN, MOHD. YUNUS, SHAHABUDDIN, BELAL AHMED, HELAL

पता J.16/30 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160148-- Property Id. 1J160296001

Latitude 25.33585147860

Longitude 83.01019917020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/30 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,772.0** व सामान्य कर **745.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential, GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH.ALI AKBAR S/O LAL MOHD.

पता J.16/52-B-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 8119255917

MIS Id. 08160155-- Property Id. 1J160302001

Latitude 25.33588406830

Longitude 83.01042249800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/52-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,454.0** व सामान्य कर **1,480.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,250.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2500,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,000.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,120.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,120.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,663.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUJJAMA S/O MOHD.AYUB

पता J.16/56-A-4 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9415685312

MIS Id. 08160164-- Property Id. 1J160306001

Latitude 25.33594931840

Longitude 83.01075302590

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,651.0 व सामान्य कर 512.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUNNISHA W/O AJIMUDDIN

पता J.16/56-A-H-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 8604983070

MIS Id. 08160168-- Property Id. 1J160307001

Latitude 25.33595737120

Longitude 83.01067244930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-A-H-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,830.0 व सामान्य कर 421.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 675,C= 225	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	540.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	18,541.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	18,541.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,040.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.AKHTARI BIBI W/O HAJI NURUL HAQUE

पता J.16/28 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160019-- Property Id. 1J160308001

Latitude 25.33596738210

Longitude 83.01024807350

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/28 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,348.0** व सामान्य कर **2,018.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,350.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2700,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	20,412.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	20,412.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,245.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN KAMRUDDIN OTHERS

पता J.16/56-B-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 6387732752

MIS Id. 08160162-- Property Id. 1J160309001

Latitude 25.33600833930

Longitude 83.01058782210

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,208.0** व सामान्य कर **903.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	750.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 750,C= 750	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	600.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	52,731.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	52,731.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,910.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN, S/O MD. ISMAIL

पता J.16/37-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160010-- Property Id. 1J160311001

Latitude 25.33600909730

Longitude 83.00991408660

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/37-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,468.0** व सामान्य कर **931.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,3_Resi	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4	R= 1350,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,080.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,985.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,985.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,638.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHURSHID ALAM S/O FATEH MOHAMMED

पता J.16/38+38-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160011-- Property Id. 1J160313001

Latitude 25.33601591470

Longitude 83.00985454870

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/38+38-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,118.0** व सामान्य कर **1,553.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	868.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2604,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,083.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	15,749.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	15,749.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,732.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAKIL AHAMAD ALLAIS KALLU, ATIK AHAMAD SS/O LATE

पता J.16/41-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160012A Property Id. 1J160314001

Latitude 25.33602354630

Longitude 83.00979349260

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/41-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,010.0** व सामान्य कर **331.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,020.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 576,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	461.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,484.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,484.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	383.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUNNISA D/O LATE ABDUL RAHMAN,ASIF,SHAMIM BANO S/O D/O

पता J.16/41 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 8004329285

MIS Id. 08160012-- Property Id. 1J160315001

Latitude 25.33603745230

Longitude 83.00971136470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/41 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,772.0 व सामान्य कर 745.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDUNNISA W/O HABIBULLA

पता J.16/42 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160013-- Property Id. 1J160315002

Latitude 25.33603745230

Longitude 83.00971136470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/42 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,706.0** व सामान्य कर **518.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,119.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 864,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	691.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,225.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,225.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	575.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABADUL RASHID IMUDUNNISA BIBI S/O D/O SALAMTULLA

पता J.16/28-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160151-- Property Id. 1J160318001

Latitude 25.33606931380

Longitude 83.01026639620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/28-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,833.0** व सामान्य कर **202.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,605.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 600,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	480.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,629.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,629.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	399.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABADUL AJIJ S/O ABDUL RAHAMAN

पता J.16/28-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160150-- Property Id. 1J160318002

Latitude 25.33606931380

Longitude 83.01026639620

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/28-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,891.0 व सामान्य कर 538.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,602.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 924,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	739.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,588.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,588.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	615.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASNA BEGAM W/O IQBAL AHMED S/O NURULHAQ, HASANA BEGAM

पता J.16/46-48-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160004B Property Id. 1J160321001

Latitude 25.33612115970

Longitude 83.00991875250

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/46-48-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **48,967.0** व सामान्य कर **5,386.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,056.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Godown, 2_Godown, GF_Godown	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0, C= 2772	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,06,877.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,06,877.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	16,032.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI AKBAR MOHAMMAD MOHD ALI S/O MOHD RAMJAN SMT SAYEMA

पता J.16/50 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160003B Property Id. 1J160323001

Latitude 25.33615002440

Longitude 83.00970447360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/50 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,755.0** व सामान्य कर **963.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUNNISA BIBI W/O LATE SAMSUDDIN,JAMILA BIBI,WAHIDA

पता J.16/48 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08160004A Property Id. 1J160326001

Latitude 25.33612827790

Longitude 83.00985894040

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/48 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,789.0 व सामान्य कर 967.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	812.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1624,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,299.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,822.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,822.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,080.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Samsudoha

पता J.16/56 A-1-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 6391625003

MIS Id. 08160163-- Property Id. 1J160344001

Latitude 25.33580888110

Longitude 83.01063985750

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/56 A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,895.0** व सामान्य कर **758.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	600.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAIBUNNISHA W/O MD.ABBAS

पता J.16/84-A-2 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170515-- Property Id. 1J160354002

Latitude 25.33735358790

Longitude 83.01179279950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,661.0** व सामान्य कर **843.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	924.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2028,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,622.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	12,265.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	12,265.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,349.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Chotai

पता J.17/71-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170544-- Property Id. 1J160359001

Latitude 25.33741445560

Longitude 83.00978641880

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/71-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,587.0** व सामान्य कर **725.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	977.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1248,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	998.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,548.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,548.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	830.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASEEN S/O SAMIULLA

पता J.16/86-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170533-- Property Id. 1J160360001

Latitude 25.33741363210

Longitude 83.01098356020

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/86-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,208.0** व सामान्य कर **903.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,224.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2448,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,958.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,806.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,806.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,629.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ESAHAK MD.ISAMAIL S/O BAFATAN SMT.NAZIMUNISA

पता J.16/77-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170541-- Property Id. 1J160361001

Latitude 25.33742081240

Longitude 83.01021254840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/77-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,GF_Industrial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 0,C= 2400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,23,379.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,23,379.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	18,507.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ARSHAD, MOHAMAD KHAN CHUNNE KHAN, AALAGEER KHAN SS/O

पता J.16/84-A-3-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170517-- Property Id. 1J160365001

Latitude 25.33742382390

Longitude 83.01182884890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-A-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,363.0 व सामान्य कर 590.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	506.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1012,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	810.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,121.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,121.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	673.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD. KHALID & MOHD. SAJISH SS/O MOHD. ISARIEL

पता J.16/84-A-4 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170523-- Property Id. 1J160369001

Latitude 25.33739777200

Longitude 83.01159112650

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,268.0** व सामान्य कर **469.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,499.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O SALAMATULLA

पता J.16/83 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170532-- Property Id. 1J160371001

Latitude 25.33743078570

Longitude 83.01107939180

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/83 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,810.0** व सामान्य कर **419.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,344.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 702,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	562.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,246.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,246.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	467.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA JAINUL ABDIN S/O LATE MASIULLA MD.EKARAM

पता J.16/71-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170543-- Property Id. 1J160372001

Latitude 25.33745804830

Longitude 83.00993056150

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/71-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,736.0 व सामान्य कर 301.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,258.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 538,C= 1978	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	430.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,30,360.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,30,360.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	19,554.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.RAHIMAN BIBI W/O HABIBULLAH

पता J.16/76-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170538-- Property Id. 1J160376001

Latitude 25.33744981020

Longitude 83.01056631890

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/76-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 8,755.0 व सामान्य कर 963.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,689.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1624,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,299.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,822.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,822.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,080.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.MUNNI BIBI W/O ABDUL MAJID

पता J.16/84-A-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170521-- Property Id. 1J160381001

Latitude 25.33747897010

Longitude 83.01178461840

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	320.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 640,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	512.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,871.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,871.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	426.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT SAHJAYA BAGAM W/O AHAMAD HUSAIN

पता J.16/74-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170004-- Property Id. 1J160382002

Latitude 25.33759896390

Longitude 83.00972563960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,189.0** व सामान्य कर **241.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 450,C= 450	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	360.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	31,639.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	31,639.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	3,480.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMZAN ALI,SABAN ALI,BARKAT ALI,ANSAR AHMED S/O D/O ABDUL
पता J.16/86 Nawapura
नया वार्ड W060 Alaipura पुराना वार्ड W086 मोबाईल नं०
MIS Id. 08170534-- Property Id. 1J160385001 Latitude 25.33751905960 Longitude 83.01098742020

नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्याJ.16/86 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 5,506.0 व सामान्य कर 606.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,024.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1024,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	819.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,193.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,193.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	681.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट<http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Mehabub Ali

पता J.16/84-1-3-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170518-- Property Id. 1J160387001

Latitude 25.33751850150

Longitude 83.01183874800

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-1-3-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,881.0** व सामान्य कर **207.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	337.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 344,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	275.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,081.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,081.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	229.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN MOHD FARUKH MOHD RAFIK GULAM YASIN PESRAN

पता J.17/187-N-2 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170520-- Property Id. 1J160388001

Latitude 25.33752417840

Longitude 83.01178967030

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/187-N-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,120.0 व सामान्य कर 233.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	400.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI HASAN S/O KHUDA BAKS

पता J.16/84 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170526-- Property Id. 1J160390001

Latitude 25.33751548520

Longitude 83.01160339610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,759.0 व सामान्य कर 633.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	879.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1080,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	864.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,532.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,532.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	719.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.TAKI KHAN,MUKHTAR AHMAD S/O MOHD.YAKUB

पता J.16/84-A-3 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170525-- Property Id. 1J160390002

Latitude 25.33751548520

Longitude 83.01160339610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,283.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	879.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1140,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	912.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,895.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,895.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	758.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RASULAN BIBI W/O ABDUL RAJJAQ

पता J.16/83-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170531-- Property Id. 1J160395001

Latitude 25.33756012130

Longitude 83.01108346740

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/83-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,234.0 व सामान्य कर 466.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	780.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 780,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	624.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,717.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,717.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	519.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMAD KHALIK

पता J.16/85-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170514-- Property Id. 1J160403001

Latitude 25.33753410720

Longitude 83.01200951360

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/85-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,524.0 व सामान्य कर 828.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	998.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 2184,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,747.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	13,209.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	13,209.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,453.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISHA KHAN S/O MOHD TAKI KHAN

पता J.16/84-A-3-G Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170519-- Property Id. 1J160406001

Latitude 25.33757081940

Longitude 83.01184401190

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-A-3-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,830.0 व सामान्य कर 421.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	528.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,2_Residential,GF_Re	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1584,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,267.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,580.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,580.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,054.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAMAT ULLAH S/O ABDUL KARIM

पता J.16/83-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170528-- Property Id. 1J160411001

Latitude 25.33756025110

Longitude 83.01139790010

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/83-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,179.0** व सामान्य कर **1,010.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1680,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,344.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,161.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,161.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,118.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Babu Hazi

पता J.16/85-13-2A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170024-- Property Id. 1J160421001

Latitude 25.33765020660

Longitude 83.01193764690

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/85-13-2A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **48,188.0** व सामान्य कर **5,301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	4,408.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 8816,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	7,053.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	53,319.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	53,319.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	7,998.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAVVAL BABA S/O HABIBULLA

पता J.16/74-A-4 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170002A Property Id. 1J160425001

Latitude 25.33769078100

Longitude 83.00939260780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,472.0** व सामान्य कर **602.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	7,258.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	7,258.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	798.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BABA KAMABAL SAH MAJAR SMARAK SIMITI NAKHI GHAT

पता J.16/72-A+16/73 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08350257-- Property Id. 1J160425002

Latitude 25.33769078100

Longitude 83.00939260780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/72-A+16/73 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 17,510.0 व सामान्य कर 1,926.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	2,808.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 3080,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,464.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	19,837.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	19,837.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,182.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALKAR W/O SRI MUJAFFAR

पता J.16/74-B-2 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170007-- Property Id. 1J160430001

Latitude 25.33772183390

Longitude 83.00984735310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,762.0** व सामान्य कर **414.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	500.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,838.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,838.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	532.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHE FIROJ D/O MUJJAFFAR HUSAIN

पता J.16/74-B-2-K-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170006-- Property Id. 1J160430002

Latitude 25.33772183390

Longitude 83.00984735310

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-B-2-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,736.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,GF_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 300,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	240.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,666.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,666.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,613.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN,KAMARUDDIN,SHAMSUDDIN

पता J.17/77 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170684-- Property Id. 1J160435001

Latitude 25.33772197250

Longitude 83.01012879610

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.17/77 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **23,530.0** व सामान्य कर **2,588.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,450.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 3150,C= 1200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	2,520.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	96,163.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	96,163.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	14,424.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FARAHAT JAHHA D/O MOHD. YUNUSH W/O SADARUDDIN

पता J.16/77-C-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170009A Property Id. 1J160436001

Latitude 25.33771953310

Longitude 83.01021326220

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/77-C-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,678.0** व सामान्य कर **295.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 1200,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	960.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,165.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,165.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	898.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN S/O HAZI HAFIZULLA

पता J.16/75 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9198277576

MIS Id. 08170011-- Property Id. 1J160438001

Latitude 25.33770894850

Longitude 83.01042528490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/75 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,234.0** व सामान्य कर **466.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	5,443.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	5,443.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	599.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAZALUL HAQ ANSARI S/O AZIMUL HAQ, REHANA KHATUN DD/O

पता J.16/77 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170010-- Property Id. 1J160438002

Latitude 25.33770894850

Longitude 83.01042528490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/77 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,234.0 व सामान्य कर 466.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,490.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 780, C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	624.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	4,717.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	4,717.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	519.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KADIR S/O LATE INAYATULLA

पता J.16/78 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 8948916325

MIS Id. 08170015A Property Id. 1J160441001

Latitude 25.33769935940

Longitude 83.01072702060

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/78 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,115.0 व सामान्य कर 673.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	900.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1800,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,440.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	10,886.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	10,886.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,197.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD MOINUDDIN S/O SAMIULLAH MOHD MOHSIN S/O MOHD

पता J.16/78-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170016-- Property Id. 1J160442001

Latitude 25.33769786570

Longitude 83.01085035830

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/78-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 7,244.0 व सामान्य कर 797.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,490.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 1352,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,082.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	8,177.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	8,177.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	899.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL KALAM S/O HABIBULLAH

पता J.16/78-K-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170018-- Property Id. 1J160445001

Latitude 25.33769451240

Longitude 83.01108004960

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/78-K-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,368.0** व सामान्य कर **150.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,013.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 528,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	422.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,992.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,992.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	439.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.JAHUR S/O ALI HASAN

पता J.16/84-B Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170020-- Property Id. 1J160446001

Latitude 25.33769597550

Longitude 83.01115614780

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/84-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 2,941.0 व सामान्य कर 324.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,404.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 540,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	432.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	3,266.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	3,266.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	359.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLHA HABIBULAH S/O ENAYATULLAH

पता J.16/82-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08170022-- Property Id. 1J160448001

Latitude 25.33769608940

Longitude 83.01131853790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/82-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 10,670.0 व सामान्य कर 1,174.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1955,C= 2365	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,564.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,63,799.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,63,799.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	24,570.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SURAJ SINGH S/O LATE SRI JHILLI SINGH

पता J.16/74-A-1-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9616504610

MIS Id. 08150001-- Property Id. 1J160348002

Latitude 25.33706805900

Longitude 83.00699852950

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,159.0** व सामान्य कर **1,557.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,610.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	1_Residential,GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 2304,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,843.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	23,141.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	23,141.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	2,546.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT MALTI SINGH W/O SRI RAJ DEV SINGH SMT.MATRI SINGH W/O

पता J.16/74-E-3 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08150002-- Property Id. 1J160349002

Latitude 25.33709171810

Longitude 83.00704781930

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-E-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 1,32,187.0 व सामान्य कर 19,828.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,020.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 1450,C= 1610	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	1,160.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,65,671.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,65,671.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	24,851.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.AASHA DEVI W/O SURESH CHAND GUPTA

पता J.16/64-B-4-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08150003-- Property Id. 1J160350001

Latitude 25.33711508540

Longitude 83.00709229160

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/64-B-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **54,238.0** व सामान्य कर **8,136.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	800.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Commercial Shop,2_Commercial	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 0,C= 2400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	2,27,664.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	2,27,664.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	34,150.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KULWANT SINGH S/O SRI TRILOKI SINGH OTHERS

पता J.16/74-E-1 Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08150004-- Property Id. 1J160351002

Latitude 25.33713252930

Longitude 83.00714131400

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 6,051.0 व सामान्य कर 666.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	840.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 624,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	499.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,267.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,267.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	689.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHAR AHMAD KHAN S/O LATE ABDUL MAJID KHAN

पता J.16/74-B-3-A Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं० 9451831600

MIS Id. 08150006-- Property Id. 1J160352002

Latitude 25.33714101130

Longitude 83.00719502490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-B-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 4,970.0 व सामान्य कर 547.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,440.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 4120,C= 200	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	3,296.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	60,353.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	60,353.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	9,053.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT RETA DEVI W/O SURESHA KUMAR MANISHA KUMAR S/O

पता J.16/74-E-2+74-E-1-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08150005-- Property Id. 1J160352003

Latitude 25.33714101130

Longitude 83.00719502490

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-E-2+74-E-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **44,342.0** व सामान्य कर **4,878.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	660.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix)	1_Residential,2_Residential,GF_Co	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3	R= 800,C= 400	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	640.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	45,086.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	45,086.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	4,959.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI SHAMSHER ALI ALIAS FARIDAN S/O LATE HAJI GADA HUSAIN

पता J.15/65-H-S Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08150029-- Property Id. 1J160454001

Latitude 25.33714987730

Longitude 83.00819038600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.15/65-H-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,042.0** व सामान्य कर **335.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	150.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 150	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	14,229.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	14,229.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,565.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN ALIAS BHOLA SS/O SRI SAFIULLAH

पता J.16/18+18-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08150015-- Property Id. 1J160454002

Latitude 25.33714987730

Longitude 83.00819038600

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/18+18-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	100.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	GF_Commercial Shop	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 0,C= 100	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	9,486.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	9,486.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	1,043.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRITI SINGH W/O DR BHUPENDRA SINGH

पता J.16/74-A-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08150079-- Property Id. 1J160458002

Latitude 25.33678061020

Longitude 83.00893478470

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/74-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,517.0** व सामान्य कर **1,817.0** से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	1,200.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd)	1_Hospital,GF_Hospital	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2	R= 0,C= 1856	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	0.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	24 Mtr Above	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.55	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	1,05,636.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	1,05,636.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	15,845.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GANA DEVI W/O RAM LAL RATHAUR

पता J.16/72-K Nawapura

नया वार्ड W060 Alaipura

पुराना वार्ड W086

मोबाईल नं०

MIS Id. 08350250-- Property Id. 1J160462002

Latitude 25.33759918680

Longitude 83.00869164790

नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.16/72-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 5,402.0 व सामान्य कर 594.0 से भिन्न है।

क्र०	भवन का विवरण	विभागीय सर्वे के अनुसार	भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में)
1	भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)	23,388.00	
2	भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd)	GF_Residential	
3	भवन का प्रकार	RCC - Pakka	
4	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1	R= 900,C= 0	
5	भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)		
6	भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%	720.00	
7	भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)	0 Mtr To 12 Mtr	
8	भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)	1.05	
9	भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)		
10	भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)	6,124.00	
11	अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली		
12	अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;	6,124.00	
13	सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का)	674.00	
भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक		→>>>	

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय